



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2006/फाल्गुन 29, 1927

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2006/PHALGUNA 29, 1927

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2006

का.आ. 367(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ पचासीवां संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—

(i) “पर्यावरण और वन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 47 के पश्चात्, निम्नलिखित ‘टिप्पण’ और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“टिप्पण :—पर्यावरण और वन मंत्रालय वन के संबंध में समग्र नीति के लिए उत्तरदायी होगा, उन सभी मामलों और तत्संबंधी विधान को छोड़कर जो वन भूमि पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित हैं।”;

(ii) “जनजातीय कार्य मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 5 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“5क. वन भूमियों पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित सभी मामले, और तत्संबंधी विधान।”।

आ. प. जै. अब्दुल कलाम,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2006-कैबि.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2006

S.O. 367(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and eighty fifth Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading “Ministry of Environment and Forests (Paryavaran Tatha Van Mantralaya)”, after entry 47, the following ‘Note’ and entries relating thereto shall be added, namely :—

“Note :—The Ministry of Environment and Forests will be responsible for overall policy in relation to forests, except all matters, including legislation, relating to the rights of forest dwelling Scheduled Tribes on forest lands.”;

(ii) under the heading “Ministry of Tribal Affairs (Janjatiya Karya Mantralaya)”, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

“5A. All matters including legislation relating to the rights of forest dwelling Scheduled Tribes on forest lands.”.

A. P. J. ABDUL KALAM,
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2006-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy.